न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 133/2024

प्रार्थीगण :–

1. गणपतराम कीर पुत्र हीरालाल
2. धापू देवी पत्नी खेमाराम जातियान कीर निवासीगण कीरों की ढाणी ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :– प्रार्थीगण की ओर से श्री बी आर विश्नोई अधिवक्ता
अप्रार्थी सरकारी पैरोकार

निर्णय दिनांक :– 17/4/24

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य एवं स्व.खेमाराम के वारिसान है अप्रार्थी को भूमिधारी होने से तहकीकात हेतु प्रार्थना पत्र में संयोजित किया गया है। प्रार्थीगण व अन्य संयुक्त खातेदारान की संयुक्त एवं अविभाजित कृषि भूमि ग्राम बंध जसवंतसागर पटवार हल्का पिचियाक भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पिचियाक तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित है, जो राजस्व रेकर्ड के मुताबिक उभय पक्षकारान का खाता सं. 207 में खसरा नंबर 142 रकबा 2.5645 हैक्टयर नाम बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज है उपरोक्त कृषि भूमि पहले प्रार्थीगण के पूर्वज खेमाराम के नाम दर्ज थी तथा खेमाराम का स्वर्गवास होने के पश्चात उपरोक्त भूमि उनके वारिसान के नाम दर्ज की गयी तथा खेमाराम के पुत्र हीराराम का भी देहान्त हो चुका है उपरोक्त कृषि भूमि में दर्ज हीराराम का हिस्सा उनके वारिसान के नाम दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश प्रार्थी सं. 1 के पिता का नाम खेमराम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज कर दिया, जबकि खेमाराम प्रार्थी सं. 1 के दादा है तथा प्रार्थी सं. 1 के पिता का सही नाम हीराराम है जो खेमराम के पुत्र है। इसी प्रकार खेमाराम का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज करते समय प्रार्थी सं. 2 धापू जो कि खेमाराम की पत्नी है, को पुत्री दर्शा दिया गया। इस प्रकार उपरोक्त इन्द्राज राजस्व कर्मचारियों ने लिपिकीय त्रुटिवश सहवन से विशुद्ध रूप से गलत एवं भ्रामक है, जिसकी गलती का शुद्धिकरण विहित रीति से शुद्ध किया जाकर प्रार्थी सं. 1 का नाम गणपतराम कीर पुत्र हीराराम तथा प्रार्थी सं. 2 का नाम धापु पत्नी खेमाराम शुद्ध की जाकर अधिकार अभिलेख में इन्द्राज पुनः किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर न्यायालय श्री से निवेदन है कि ग्राम बंध जसवंतसागर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 142 रकबा 2.5645 हैक्टयर कृषि भूमि में

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थी संत्र 1का नाम गणपतराम पुत्र खेमाराम के स्थान पर गणपतराम कीर पुत्र हीराराम तथा प्रार्थी सं. 2 का नाम धापू पुत्री खेमाराम के स्थान पर धापू पत्नी खेमाराम लिपिकीय गलती को दुरूस्त करते हुए विहित रीति से शुद्ध किये जाने के आदेश अप्रार्थी को जारी फरमावे एवं पृथक से अप्रार्थी को तहरीर जारी फरमावे कि राजस्व रेकर्ड में उक्त शुद्धिकरण प्रत्यक्ष रूप से कर प्रार्थीगण को राहत प्रदान करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी को सम्मन बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम बन्ध जसवंतसागर में आई हुई है, जिसके खसरा नंबर 142 रकबा 2.5645 हैक्टयर है। वादीगण का प्रथम बार राजस्व रेकर्ड में नाम खेमाराम के फौत होने पर जरिये विरासत नामा. सं. 1594 के धापूदेवी पत्नी खेमाराम, सागरराम,गणपतराम पुत्र हीराराम, राधादेवी पुत्री हीराराम व अलीदेवी पत्नी हीराराम दर्ज हुआ। नई जमाबंदी चौसाला तैयार करते समय गणपतराम पुत्र हीराराम के स्थान पर धापुदेवी पुत्री खेमाराम दर्ज कर दिया जो सही प्रविष्टि नहीं है। नामा. सं. 1594 विरासत के अनुसार सही प्रविष्टि गणपतराम पुत्र हीराराम व धापूदेवी पत्नी खेमाराम है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बन्धजसवंतसागर की सरहद में स्थित खसरा नंबर 142 रकबा 2.5645 हैक्टयर में प्रार्थी सं. 1 का नाम गणपतराम पुत्र खेमाराम के स्थान पर गणपतराम कीर पुत्र हीराराम व प्रार्थी सं. 2 का नाम धापु पुत्री खेमाराम के स्थान पर धापू पत्नी खेमाराम की दुरूस्ती किया जाना उचित है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यों को दोहराया और दुरूस्ती किये जाने पर सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2073-2076 में खसरा नंबर 142 में प्रार्थीगण गणपतराम पुत्र खेमाराम व धापू पुत्री खेमाराम के नाम से खातेदारी में दर्ज है। ऑनलाईन जमाबंदी चौसाला 2073 से 2076 तैयार करते समय लिपिकीय भूलवश प्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम गणपतराम कीर पुत्र हीराराम, धापू पत्नी खेमाराम के स्थान पर गलत नाम गणपतराम पुत्र खेमाराम, धापु पुत्री खेमाराम दर्ज कर दी गई। इसलिए उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम बंध जसवंतसागर तहसील बिलाडा के

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खसरा नम्बर 142 रकबा 2.5645 हेक्टयर में जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में दुरूस्ती की जाकर प्रार्थी सं. 1 का नाम गणपतराम पुत्र खेमाराम व प्रार्थी सं. 2 का नाम धापु पुत्री खेमाराम के स्थान पर सही नाम गणपतराम कीर पुत्र हीराराम, धापू पत्नी खेमाराम नाम दर्ज किये जाये एवं तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरें। पत्रावली फैसललशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 17/12/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा